

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

०८

माच

फरवरी 2018

विषय:-

एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या-999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

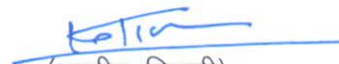
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या- 2395/एटा/13100/2015, दिनांक 13-2-2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कतिपय सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख पर सम्बंधित हस्ताक्षरकर्ता का नाम व दिनांक अंकित कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय प्रेषित करते हुए शासन को सूचनार्थ प्रेषित किया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 13-2-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये कतिपय सूचनायें संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-505 (1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।